मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य जपनाग,

• **क्रमांक 17(ई**) / 93 / 04 / 21 – य(दो) प्रति.

भोपाल, दिनांक 13/4/2010.

शासन के समस्त विभाग समस्त संभागायुक्त, समस्त विभागाध्यक्ष. समस्त जिलाध्यक्ष (मध्यप्रदेश)

विषय:- न्यायालयों की अवमानना के मामलों में शासकीय अधिकारियों / कर्मचारियों की और से पक्ष समर्थन के संबंध में ।

राज्य शासन, इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 8 अगस्त, 2005 एवं संशोधित आदेश दिनांक 24-2-10 को एतदद्वारा, निरस्त करते हुये, म०प्र० उच्च न्यायालय मुख्यपीठ, जबलपुर, खण्डपीठ, इन्दौर एवं ग्वालियर में शासन की ओर से पैरवी करने हेतु महाधिवक्ता कार्यालय, जबलपुर, खण्डपीठ इन्दौर, ग्वालियर में नियुक्त संभी अधिवक्तागण जो शासकीय अधिवक्ता नियुक्त किये गये हैं (पैनल अधिवक्ता को छोड़कर) सभी को अवमानना प्रकरणों में शासकीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों की ओर से पक्ष समर्थन करने हेतु एतद्द्वारा, अधिकृत किया जाता है ।

2/ अवमानना प्रकरणों में पैरवी करने के फलखरूप नियुक्त अधिवक्ता को प्रति प्रकरण फीस रुपये 5,000 / - (रू० पांच हजार) एवं अन्य व्यय के लिये रुपये 500 / -(रू० पांच सौ) का भुगतान संबंधित अधिकारी / कर्मचारी द्वारा किया जावेगा । इसके अतिरिक्त किसी भी अवमानना के प्रकरण में चाहे जितनी संख्या में शासकीय अधिकारी / कर्मचारी को अनावेदक के रूप में संयोजित / जोडा गया है उसे सिर्फ एक ही प्रकरण मानकर भुगतान किया जावेगा । अवमानना याचिका के निरस्त होने पर संयंधित अधिकारी / कर्मचारी इस फीस की प्रतिपूर्ति अपने प्रशासकीय विभाग से पा सकेगें।

यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा । इसके पूर्व के

प्रकरणों में पूर्व निर्देशानुसार कार्यवाही की जावेगी ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम।से तथा आदेशानुसार,

----- जाया तिशि और विधा री कार्य विभाग,



क्रमहेक 17(ई) / 93 / 04 / 21—य(या) प्रतितिपः—

भोपाल, दिनांक 13/4/2010

- (:) रजिस्हार जनश्ल, २०४० उच्च न्यायालय, ज्रंबलपुर,
- (2) रजिस्ट्रोर, भ०प्र० उच्च न्यायालय, खण्डपीठ खालियर / इन्दौर,
- (3) महालेखाकार, म०प्र० ग्वालियर,
- (4) महाधिवक्ता, म०प्र० जयलपुर
- (5) अतिरिक्त महाधिवक्तः उच्च न्यायालय खण्डपीठ, <mark>ग्वालियस/इन्दौर,</mark>
- (6) आपराधिक शाखा / याविका शाखा / तिविल शाखा **/ वजट शाखा, विधि और** विधायी कार्य विभाग
- (7) समस्त शासकीय अधिवक्तागण, जबलपुर, खण्डपीठ, इन्दौर/ग्वालियर, की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

(भूषेन्द्र कुमार निगम) अपर सचिव,

नध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग,

नेमी टीप

(केवल ऐसी टीपों आदि के लिये ही उपयोग में लाया जाये जो स्थायी अभिलेख के लिये न हों)

Recol as silver

भोपाल, दिनांक 30.05.16

विषय:- सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित '' मंथन 2014 की अनुशंसा'' क्रमांक 05.12 एवं 05.13 के क्रियान्वयन के संबंध में।

पंजी क्रमांक 1979/21-ब(दो), दिनांक 27.05.2016

उपरोक्त विषयक वरिष्ठ लेखाधिकारी स्थापना शाखा की टीप दिनांक 26. 05.2016 के परिपेक्ष्य में अनुशंसा क्रमांक 05.13 के पालन में पूर्व में जारी परिपत्र दिनांक 13.04.2010 जो कि मंथन 2014 से संबंधित है की छायाप्रति निर्देशानुसार आपकी ओर भेजकर विभागीय पोर्टल में अपलोड कराने का कष्ट करें।

(संजीव भार्गव) प्रभारी अनुभाग अधिकारी बी-2

<u>ष्रशासकीय अधिकारी,</u> स्थापना शाखा/आईटी शाखा